


न्यायालय श्री मान् सस्य महादेय राजस्व मण्डल ग्वालियर सिविल कोर्ट रीवा

म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2013

497  
29.8.13



3.13.20/-

R. 3742-11/13

अधिवक्ता श्री राजगिरि जी  
द्वारा प्रस्तुत।  
रीवा दि-29.8.13

- 1- सुखम लाल वेगा ।
- 2- सुखदेव वेगा । दोनों कैपिता करु वेगा,
- 3- गौरे वेगा तनय सुलादा वेगा,
- 4- बांधेराम तनय जेठवा वेगा सभी निवासीगण ग्राम बुलहरा, तहसील मानपुर, जिला उमरिया म०प्र०

आपत्तिकतागिण/ निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्री श्री पुनिया वाई पुत्री श्यामलाल सिंह गाँव निवासी ग्राम बुलहरा, तहसील मन्नपुर, जिला उमरिया म०प्र०

निगरानीकार

2- म०प्र० शासन

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्री मान् तहसीलार महादेय, तहसील मानपुर,

जिला उमरिया म०प्र० के राजस्व प्रकरण

क्रमांक 36/क-12/12-13 में पारिश आदेश

दिनांक 7-8-2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व

संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरण के संनिप्त तय्य

आवेदिका पुनिया वाई द्वारा आराजी खसरा न०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

55

प्रकरण क्रमांक R3742-III/13

जिला-उमरिया

सुखमनलाल वैगा / श्रीमती पुनिया बाई

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजय तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मानपुर के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला उमरिया के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	